(5)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद-गोरखपुर

पत्रांक-सी0एफ0ओ0-निरीक्षण (विद्यालय)/2018-19 दिनांकः- 16 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

प्रबन्धक/व्यवस्थापक
महर्षि विद्या मंदिर जूनियर हाईस्कूल
सेवई बाजार, भौवापार, जनपद-गोरखपुर।

विषयः- महर्षि विद्या मंदिर जूनियर हाईस्कूल सेवई बाजार, भौवापार, जनपद-गोरखपुर में स्थापित अग्निशमन /जीव रक्षा व्यवस्था का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 13.10.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके प्रश्नगत विद्यालय में स्थापित अग्निशमन/जीव रक्षा व्यवस्था का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया, वस्तुस्थिति निम्नवत् पायी गयीः-

1. प्रश्नगत विद्यालय तक अग्निशमन के वाहन आवागमन करते हुए अग्निशमन कार्य सम्पादित कर सकते है।
2. भारतीय मानक संस्थान की प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त अग्शिमन उपकरण मानक संख्या 2190 : 1992 के अनुसार स्थापित एवं क्रियाशील है।
3. प्रश्नगत विद्यालय में निकास मार्ग के प्रदिप्त संकेत चिन्ह लगे पाये गये।
4. प्रश्नगत विद्यालय में विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत लगा पाया गया।
5. प्रश्नगत विद्यालय में निकास की आवश्यकतायें एवं अग्नि से बचाव के मार्ग की व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।
6. प्रश्नगत विद्यालय प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पायी गयी।
7. प्रश्नगत विद्यालय में उपलब्ध कर्मचारियों को प्राथमिक अग्निशमन उपकरण संचालित करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
8. प्रश्नगत विद्यालय में ए0बी0सी0-2016 के पार्ट-4 के मानक के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था स्थापित करना वांछनीय होगा।
9. आवेदक द्वारा अग्निशमन उपकरणों का परीक्षण शुल्क चालान संख्या-JG54890 दिनांक 16.10.2018 के द्वारा मु0 धनराशि 60/- निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा की जा चुकी है।

अतः उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील बनाये रखना तथा एन0बी0सी0-2016 तथा मानक संख्या-2190:1992 तथा उ0प्र0 अग्नि निवारण व अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 के नियम-4 में दिये गये निर्देशों का पालन करना तथा अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक का उत्तरदायित्व होगा के शर्त पर अग्निशमन का क्रियाशीलता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है, जो निर्गत तिथि से 01 (एक) वर्ष तक वैध माना जायेगा। अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील होने की दशा में यह निर्गत प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

D Singh 16/10/18
(डी0 के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर